

कालाबयरिंग एरियाज (एक्वी.एण्ड डेवल्प.) एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहित की गई भूमि वर्ष 1980 के उपरांत किये गये कार्यों (भूमिगत खनन) के बनसं 0 अधिं 1980 के तहत संचालित शोभापुर खनन के लिए 80.902 हेक्टर वन भूमि/राजस्व वन भूमि के लिये कार्योत्तर स्वीकृति वावत संक्षिप्त टिप्पणी

संस्थान द्वारा कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहित एवं शोभापुर खदान के भूमिगत खनन हेतु कुल 343.239 हेक्टर भूमि का उपयोग किया गया है। उपरोक्त भूमि में से खदान से कुल 273.259 हेक्टर भूमि का उपयोग किया गया। वनभूमि 273.259 हेक्टर में से संस्थान द्वारा व०सं 0 अधिं 1980 के तहत (स्वीकृति क्र० 8-130/91/एफसी दिं 03.02.1997 के तहत कुल 1349.248 हेक्टर) स्वीकृति प्राप्त वनभूमि में से 163.236 हेक्टर वनभूमि का उपयोग इस खदान हेतु किया गया। (273.259-163.236 = 110.023 हेक्टर) एवं व०सं 0 अधिं 1980 के तहत (स्वीकृति क्र० 8-95/2000/एफसी/792 दिनांक 20.03.2001 के तहत कुल 42.000 हेक्टर) स्वीकृति प्राप्त वनभूमि में से 17.121 हेक्टर भूमि का उपयोग इस खदान के लिए खनन कार्य हेतु किया गया (110.023-17.121 = 92.902 हेक्टर)। इस प्रकार शेष वनभूमि 92.902 हेक्टर, कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत वर्ष 1980 के पूर्व अधिग्रहित की गई है, इसलिए 92.902 हेक्टर वनभूमि में से 12.000 हेक्टर वनभूमि में खनन कार्य वर्ष 1980 के पूर्व सम्पादित हो जाने के कारण वन संरक्षण अधिं 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई एवं आवश्यक भी नहीं थी, (92.902-12.000 = 80.902 हेक्टर)।

शेष वन भूमि 80.902 हेक्टर में वर्ष 1980 के पश्चात खनन कार्य किये गये जिसका संस्थान द्वारा प्रस्ताव बनाकर व०सं 0 अधिं 1980 के तहत कार्योत्तर स्वीकृति हेतु वर्ष 2007 में वन विभाग को प्रस्तुत किये गये।

आवेदित क्षेत्र 80.902 हेक्टर का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र० | अधिसूचना क्र० / दिनांक | प्रस्तावित वनभूमि (हेक्टर) | टिप्पणी |
|----------------|------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2760 / 19.09.1963 | 39.617 | वनभूमि का कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत अधिसूचना 1980 के पूर्व लेकिन खनन कार्य वसं अधि. 1980 के पश्चात किया गया इस कारण यह प्रस्ताव कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है। |
| 2 | 2617 / 21.08.1978 | 41.285 | |
| आवेदित क्षेत्र | कुल | 80.902 | |

भारत सरकार, कोल मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र० 43024/5/05 / PRIW-1 दि. 21.03.06 के तारतम्य में, पर्याएवं वन मंत्रालय के पत्र दि. 016.02.2006 (जायाप्रति संलग्न) के पत्रों का अवलोकन पश्चात विदित हुआ की व०सं 0 अधिं 1980 के प्रभावी होने के पूर्व वनभूमि का कोल एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहण किया गया हो तथा वर्ष 1980 पश्चात खनन कार्य करना हो तो ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का वसं अधि. 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2006 में AIG (Forest) के पत्र से ज्ञात हुआ कि, व०सं 0 अधिं 1980 के प्रभावी होने के पूर्व वनभूमि का कोल एक्ट 1957 के तहत अधिग्रहण किया गया हो तथा वर्ष 1980 के पश्चात भी खनन कार्य करना हो तो ऐसे वनभूमि पर व०सं 0 अधिं 1980 प्रभावी रहेगा आवेदक संस्थान को संज्ञान में आने के उपरांत क्षेत्र 80.902 हेक्टर का प्रस्ताव वन सं 0 अधिं 1980 के तहत कार्योत्तर स्वीकृति हेतु वन विभाग को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया।

आवेदित क्षेत्र में खनन कार्य व०सं 0 अधिं 1980 के अस्पष्टता के कारण हुआ है। इस कथन को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करे।

भवदीय


झेत्रीय योजना अधिकारी
Area Planning Officer
Pathakhera, Area, W.C.I.

No. 43024 / 5 / 2005 P/TIW-I
Government of India
Ministry of Coal

New Delhi, dated the 21st March, 2006

To
Chairman-cum-Managing Director,
Central Coalfields Limited,
Dharbhanga House, Ranchi,
Jharkhand.

Subject : Points for seeking clarification on Forest land acquisition
under CBA (A & D) Act, 1957.

Sir,

I am directed to refer to CCL letter No. REV/ 05/ 510 dated 25th April, 2005 wherein clarifications on some of the issues on Forest Land acquisition under CBA (A&D) Act, 1957 were sought. The matter has been examined in the Ministry in consultation with Ministry of Environment and Forests. A note containing the clarifications furnished by the Ministry of Environment and Forests is forwarded herewith.

SD (UR)
Encis: As stated.

Yours faithfully,

M. Shahabudeen
Under Secretary

Copy to :

Chairman, Coal India Limited, Kolkata

CMDs: BCCL/ECL/MCL/NCL/SECL/WCL for information and record.

DTE (UR)
BRS @ 2006
DTE (UR)
DTE (UR)
DTE (UR)
DTE (UR)

2006-2007

Ministry of Environment and Forests
(FC Section)

Note of Ministry of Coal at Page 1-2/NS may be referred

In the note the opinion of Ministry of Environment and Forests has been sought on various issues. The point-wise opinion is given below :

- (a) Whether permission of Central Government is required for use of forest land acquired under CBA Act : If the land acquired under CBA Act involves forest land, provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 will be applicable. However, if such land has been acquired and broken before 25.10.1980 i.e., the date of enactment of FC Act, 1980, approval under FC Act will not be required. For the land acquired and / or broken after 25.10.1980, FC Act will be applicable. However, at the time of renewal of such leases, whether acquired before or after 25.10.1980, permission under FC Act will be required for continuation of mining.
- (b) Payment of elements of compensation beyond provisions of CBA Act : While granting approval under Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of forest land, various stipulations are made for mitigating the adverse effects of mining, like raising of Compensatory Afforestation (CA), Safety zones etc. The user agency is required to pay the cost of such measures imposed by way of the forest land diverted for non-forestry purpose under the Forest (Conservation) Act, 1980, like cost of CA, NPV, and Safety zone etc, or cost of any other condition imposed by the Central Government.
- (c) GMK land recorded as "Jungle Jhari" and given Raiyatwari status : The Forest (Conservation) Act, 1980 is applicable to all types of forest land. The Supreme Court in its order dated 12.12.1996 has further clarified that that the word "forest" must be understood according to its dictionary meaning. This description covers all statutorily recognized forests, whether designated as reserved, protected or otherwise for the purpose of Section-2 (i) of the Forest (Conservation) Act, 1980. The term "Forest Land" occurring in Section-2 will not only include "Forest" as understood in the dictionary sense, but also any area recorded as forest in the Government record, irrespective of the ownership. The provisions enacted in the Forest (Conservation) Act, 1980 for the conservation of the forests and the matters connected therewith must apply clearly to all forests so understood irrespective of the ownership or classification thereof. In view of the above, the provisions of FC Act will be applicable to land recorded as Jungle Jhari also.
- (d) Penal action against Company's officials : If the forest land has been utilized in violation of any of the provisions of the Act, without the approval of the Central Government, the penal action lies against the guilty officials.